

## विक्रय - पत्र

सम्पत्ति वक्फ से सम्बन्धित नहीं है  
सम्पत्ति का प्रकार— आवासीय प्लॉट नं० —————  
ग्राम— ग्राम लालपुर— कुंज बिहार कालोनी (साउथ सिटी  
विस्तार) तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर।  
आवासीय भूमि का क्षेत्रफल — — — — — वर्गमीटर  
दर — — — — — /— रू० प्रति वर्गमीटर  
पृष्ठ सं० 159 क्रमांक 605 वी कोड 1228 अनुसार  
बाजारी मूल्य — — — — — /— रूपये  
विक्रय मूल्य — — — — — /— रूपये  
अदा स्टाम्प शुल्क — — — — — /— रूपये  
सड़क की स्थिति — सड़क से लगभग 800 मीटर दूर  
पक्षों की संख्या — विक्रेता — 02 क्रेता—

मेसर्स कुंजबिहारी इन्फ्रा डेवलेपर्स प्रा० लि० CIN-U45400UP2013PTC058110  
तारीन बहादुरगंज शाहजहाँपुर PAN-AAFCK2318F द्वारा डाइरेक्टर  
/अधिकृत प्रतिनिधि — — — — —  
— मो० — — — — — प्रथम पक्ष

एवं

क्रेतागण के नाम व पते आधार पैन व मो० नं०

— — द्वितीय पक्ष

जो कि प्रथम पक्ष आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम लालपुर कुंजबिहार  
कालोनी—साउथ सिटी विस्तार तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर का स्वामी  
है जिस भूखण्ड का निजी नम्बर — — — — है जिसकी नाप पूर्वी व पश्चिमी  
भुजा ——— मीटर प्रत्येक, तथा उत्तरी व दक्षिणी भुजा ——— मीटर  
प्रत्येक, कुल क्षेत्रफल ——— वर्गमीटर है जिसकी विस्तृत नापें व चौहद्दी  
संलग्न नक्शे में भी अंकित हैं तथा चौहद्दी बैनामे के अन्त में भी अंकित है।

प्रथम पक्ष उपरोक्त भूखण्ड के स्वामी हैं। उक्त कालोनी का ले-आउट प्रथम पक्ष द्वारा विनियमित क्षेत्र शाहजहाँपुर से पास कराया गया है जिसकी पत्रावली संख्या - - - - - है विक्रीत प्लॉट खसरा नं० - - - - - का भाग है जिसको विक्रय करने, रेहन करने आदि के समस्त मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं व प्रथम पक्ष कम्पनी ने अपने प्रस्ताव सं० - - - - - दिनांक - - - - - द्वारा डाइरेक्टर/ अधिकृत प्रतिनिधि - - - - - को विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया है।

लिहाजा उक्त वर्णित सम्पत्ति जिसकी पैमाइश विवरण व चौहद्दी बैनामे के अन्त में तथा विस्तृत नाप एवं विवरण संलग्न नक्शे में भी अंकित है, बदस्त द्वितीय पक्ष मुवलिग - - - - - /- (- - - - - रूपये) जिसके आधे मुवलिग - - - - - /- (- - - - - रूपये) होते हैं, के बदले में द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया और कब्जा व दखल मौके पर दे दिया और सम्पत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी बना दिया। अब द्वितीय पक्ष जिस प्रकार चाहे इस सम्पत्ति का प्रयोग करे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत भूखण्ड किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में बन्धक नहीं है।

सम्पत्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है। भूखण्ड पूरी तरह से भार मुक्त है यदि आइन्दा कभी सम्पत्ति पर विक्रय से पूर्व का कोई भार पाया जावे तो उसके निपटान की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई मुकदमा लम्बित नहीं है और न ही यह सम्पत्ति किसी मुकदमे या डिक्री के निष्पादन में किसी न्यायालय द्वारा

कुर्कशुदा है। यदि उक्त सम्पत्ति से स्वामित्व की किसी कमी (Defect of title) के कारण द्वितीय पक्ष-क्रेता के हाथ से कब्जा व व दखल निकल जावे या कोई कर्जा, भार या रेहन पाया जावे तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी और ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष- क्रेता अपना हर्जा खर्चा व प्रतिफल प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। विक्रीत सम्पत्ति आवासीय प्रयोग की है। कालोनी की देखरेख, मेंटीनेंस आदि के सम्बन्ध में भविष्य में होने वाले व्यय कालोनी के संवासियों द्वारा गठित सोसाइटी के नियमानुसार अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष-क्रेता की होगी।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गयी

आवासीय भूखण्ड संख्या - --- - - - स्थित ग्राम लालपुर, कुंजबिहार कालोनी-साउथ सिटी विस्तार, तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर, जिसका कुल क्षेत्रफल - - - - - ( - - - - - ) वर्गमीटर है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:-

पूरब -

पश्चिम -

उत्तर-

दक्षिण-

इस स्थान से कचहरी लगभग चार किलोमीटर, बस स्टेशन 5.5 किलोमीटर व रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम लालपुर में कुंज बिहार कालोनी (साउथ सिटी विस्तार) की आवासीय भूमि के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा - - - - - /- रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है जिस अनुसार विक्रीत भूखण्ड - - - - - वर्गमीटर का मूल्यांकन - - - - - /- रूपये होता है जिस पर - - - - - - - - - /- रूपये का देय स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

